राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-6708/2006

ज्ञानचंद बनाम राजस्थान राजस्थान

दिनांक:21.11.2006

माननीय न्यायाधिपति श्री जितेन्द्र राय गोयल

श्री बीरी सिंह, अधिवक्ता अभियुक्त-प्रार्थी की ओर से

श्री आर पी कुलदीप, विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राज्य

श्री रतन सिंह चूड़ावत, अनुसंधान अधिकारी व्यक्तिश: उपस्थित.

--

अभियुक्त- प्रार्थी द्वारा यह अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र प्रथम सूचना संख्या-124/2005 पुलिस थाना- कैथूनीपोल, कोटा अपराध अन्तर्गत धारा-420,467, 468 भा.दं.सं.के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है।

इस पर अभियुक्त- प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी तथा दौरान बहस प्रस्तुत दस्तावेज / केस डायरी का अवलोकन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त- प्रार्थी की ओर से तर्क दिया गया है कि अभियुक्त- प्रार्थी ज्ञान चंद मीणा द्वारा वर्ष 1993 -94 में बी.ऐड. की परीक्षा बाबा साहेब भींमराव अम्बेदकर बिहार विश्व विधालय, मुजफ्फरपुर से पास की गयी थी, जिसके लिए उनके द्वारा पुलिस को दिनांक 3.5.2006 को भी सूचना दी जा चुकी है तत्पश्चात पुन: दिनांक 14.10.2006 को रजिस्ट्रार, बाबा साहेब भींमराव अम्बेदकर, बिहार विश्व विधालय, मुजफ्फरपुर द्वारा एस.एच.ओ. कैथूनी पोल, कोटा को पत्र लिखकर इसकी पुष्टि की है कि रोल नं. 233 से वर्ष 1993-94 सत्र में बी.ऐड की परीक्षा ज्ञान चंद मीणा द्वारा पास की गयी थी। इस सम्बन्ध में दिनांक 13.5.2005 को लिखा गया पत्र वास्तविक था तथा दिनांक 21.7.2004 को लिखा गया पत्र genuine नहीं था।

अनुसंधान अधिकारी स्वयं भी उपस्थित है तथा उन्होंने इस बात की पुष्टि की है दिनांक 14.10.2006 का रजिस्ट्रार, बाबा साहेब भींमराव अम्बेदकर बिहार विश्व विधालय, मुजफ्फरपुर का पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें अभियुक्त- प्रार्थी ज्ञान चंद

मीणा द्वारा वर्ष 1993-94 में रोल नं. 233 से बी.ऐड. की परीक्षा पास किये जाने को सही ठहराया है।

इस प्रक्रम पर इस मामले के गुणावगुण पर विशेष विवेचन किया जाना उपयुक्त नहीं है किन्तु अपराध की प्रकृति व अभियुक्त की इस अपराध में बतायी गयी लिप्तता व प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों व दिनांक 14.10.2006 को एस एच ओ, कैथूनीपोल, कोटा शहर को रजिस्ट्रार, बाबा साहेब भींमराव अम्बेदकर बिहार विश्व विधालय, मुजफ्फरपुर द्वारा प्रेषित पत्र को देखते हुए मेरी राय में प्रार्थी को धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता का लाभ दिया जाकर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अत: अभियुक्त- प्रार्थी का अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी ज्ञानचंद पुत्र गिर्राज मीणा निवासी- श्यामपुरा तहसील व जिला- सवाई माधोपुर वर्तमान में कार्यरत राजकीय माध्यमिक विधालय भूरी पहाड़ी तहसील-खण्डार जिला- सवाई माधोपुर को पुलिस थाना- कैथूनीपोल, कोटा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या- 124/2005 में गिरफ्तार किया जावे तो उसे अन्वेषण अधिकारी/ गिरफ्तारी अधिकारी/ एस.एच.ओ. की सन्तुष्टि पर प्रार्थी द्वारा रूपये **10,000/-** (**दस** हजार रूपये मात्र) का स्वयं का व्यक्तिगत बन्ध पत्र व रूपये **5,000/- --5,000/-(पांच-पांच हजार रूपये मात्र)** की दो प्रतिभूति पत्र प्रस्तुत करने पर उसे निम्न शर्तों के साथ जमानत पर रिहा कर दिया जावे:

1. यह कि प्रार्थी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों के उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा।
2. यह कि प्रार्थी इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।
3. यह कि प्रार्थी न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेंगा।
4. यह कि प्रार्थी भविष्य में इस तरह की प्रकृति के अपराध में लिप्त नहीं होगा।

(न्या0 जितेन्द्र राय गोयल)